



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261942  
CG-DL-E-25032025-261942

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947

No. 157]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

सं. 07/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 192(अ).— जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “अक्रिलिक सालिड सरफेसेस” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 3506 99 99, 3920 51 11, 3920 51 19, 3920 51 99, 3920 63 90, 3921 90 39 या 3926 90 69 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना फाइल संख्या 06/06/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि-

(i) विषयगत माल का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके पाटित मूल्य पर किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयात के कारण सारवान क्षति हुई है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

#### सारणी

| क्र. सं. | टैरिफ मद                                                                                             | विवरण                   | मूलतः उत्पादन का देश                | निर्यातक देश                       | उत्पादक                                                                                                            | राशि  | माप इकाई  | मुद्रा       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| (1)      | (2)                                                                                                  | (3)                     | (4)                                 | (5)                                | (6)                                                                                                                | (7)   | (8)       | (9)          |
| 1.       | 3506 99 99,<br>3920 51 11,<br>3920 51 19,<br>3920 51 99,<br>3920 63 90,<br>3921 90 39,<br>3926 90 69 | अक्रिलिक सालिड सरफेसेस* | चीन जनवादी गणराज्य                  | चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश | शेडोंग केलेसी न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और शंघाई सेलिसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कंपनी, लिमिटेड शेडोंग ब्रांच | शून्य | किलोग्राम | अमेरिकी डॉलर |
| 2.       | -वही-                                                                                                | -वही-                   | चीन जनवादी गणराज्य                  | चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश | उपरोक्त क्र. सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक                                                 | 0.18  | किलोग्राम | अमेरिकी डॉलर |
| 3.       | -वही-                                                                                                | -वही-                   | चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई देश | चीन जनवादी गणराज्य                 | कोई भी                                                                                                             | 0.18  | किलोग्राम | अमेरिकी डॉलर |

\* वैकल्पिक विवरण जैसे कि 100% ऐक्रेलिक सालिड सरफेसेस, शुद्ध ऐक्रेलिक सालिड सरफेसेस, कोरियन शीट, हाय मैक ऐक्रेलिक शीट, पीएमएमए से बने मोटेली शीट, पीएमएमए शीट, स्टारन सालिड सरफेसेस, क्रायन मिथाइल मेथैक्रिलिक रेसीन सालिड सरफेसेस शीट, मिथाइल मेथैसिलिक राल शीट। नीचे दिए गए उत्पादों को वर्तमान जांच के उद्देश्य से पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है:

क) शुद्ध ऐक्रेलिक शीट;

ख) फर्नीचर की सजावट और वाहन रैपिंग के लिए ऐक्रेलिक लैमिनेट्स और पीईटी/पीवीसी फिल्में;

ग) पॉलिएस्टर सालिड सरफेसेस शीट;

घ) संशोधित ऐक्रेलिक सालिड सरफेसेस।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/39/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

**No. 07/2025-Customs (ADD)**

**G.S.R. 192(E).**— Whereas, in the matter of “Acrylic Solid Surfaces” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 3506 99 99, 3920 51 11, 3920 51 19, 3920 51 99, 3920 63 90, 3921 9039 or 3926 90 69 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/06/2023-DGTR, dated the 26<sup>th</sup> December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26<sup>th</sup> December, 2024, has come to the conclusion, *inter alia* that-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the

corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Tariff item                                                                                          | Description             | Country of Origin               | Country of Export              | Producer                                                                                                             | Amount | Unit of measurement | Currency |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|
| (1)     | (2)                                                                                                  | (3)                     | (4)                             | (5)                            | (6)                                                                                                                  | (7)    | (8)                 | (9)      |
| 1.      | 3506 99 99,<br>3920 51 11,<br>3920 51 19,<br>3920 51 99,<br>3920 63 90,<br>3921 90 39,<br>3926 90 69 | Acrylic Solid Surfaces* | China PR                        | Any including China PR         | Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd and Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch | NIL    | Kg                  | USD      |
| 2.      | -do-                                                                                                 | -do-                    | China PR                        | Any Country including China PR | Any other producer excluding producer mentioned at Sl. No. 1 above.                                                  | 0.18   | Kg                  | USD      |
| 3.      | -do-                                                                                                 | -do-                    | Any country other than China PR | China PR                       | Any                                                                                                                  | 0.18   | Kg                  | USD      |

\* Covers alternative descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets. The below products are not covered in the scope of PUC for the purpose of the present investigation;

- a) Pure acrylic sheets;
- b) Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping ;
- c) Polyester solid surface sheets;
- d) Modified Acrylic Solid Surfaces.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/39/2025-TRU Section-CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.